कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर

–:: कार्यालय आदेश ::–

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/पीटीआई–2011/एन.जे./ दिनांक 04.01.2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–II व III भर्ती परीक्षा 2011 में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III के पद पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध चयनित एव अभिस्तावित अभ्यर्थियों को जोधपुर जिला आवंटन कर नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय स्तर पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 10.01.2022 को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर पृष्ठांकित सूची में अंकित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानानुसार शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III के पद पर रिवाईज्ड पे मैट्रिक्स लेवल (वेतन लेवल–10) में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के परिवीक्षण काल पर नियमानुसार देय नियत पारिश्रमिक 23700/– रूपये (तैबीस हजार सात सौ रूपये) प्रतिमाह (पूर्व से तथा सेवारत होने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प अनुसार विद्यमान वेतन) पर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापित किया जाता है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं.08 (01) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगें :–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी से संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिक जो विधिवत कार्यमुक्त होगें, उनके लिए यह बिन्दु लागू नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
3. संबंधित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जावे।
4. अभ्यर्थी से उसकी पात्रता, आयु, वर्ग, दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर ली जाये तथा कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से निर्धारित प्रपत्र में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
5. विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप सें प्राप्त किया जावें।
6. वित विभाग के आदेश क्रमांक एफ–12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
7. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–II व III भर्ती परीक्षा 2011 के संबंध में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों/आदेशों के अध्यधीन रहेगी।
8. प्रोबेशन ट्रेनी की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्तें यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
9. प्रोबेशन ट्रेनी की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जायेगा।
10. प्रोबेशन ट्रेनी की अवधि में इन्हे कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिनों का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक–एफ–12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2Q17 के अनुसार देय होगा एवं प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
11. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है। अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है उन्हे यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण पत्रों के संबंध में 50/–रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेवें कि यदि उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य दस्तावेज/प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उनका चयन/नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 की अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रारूप में प्राप्त की जावें। आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषण पत्र (प्रारूप) प्राप्त किया जावे।
13. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चिता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र पर छाया चित्र चस्पा है।
14. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में कार्मिक (क-2) विभाग के अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एवं 20.11.2015 की अनुपालना में पूर्ति करावें। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.2005 का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावे।
15. संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थियों की सेवापुस्तिका तैयार करवाते समय 10 वीं परीक्षा की अंकतालिका के आधार पर नाम, पिता का नाम, एवं जन्मतिथि आदि अंकित करे।

नोट :- निम्नांकित क्र.सं 03, 05, 07, 12 पर अंकित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित दिनांक को आयोजित परामर्श शिविर में उपस्थित न होने एवं क्रम संख्या 01 पर अंकित कार्मिक के भी दस्तावेजों की जांच नहीं हुई है। अतः संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराने से पूर्व स्थानीय कार्यालय में दस्तावेजों की जांच हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करे एवं स्थानीय कार्यालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यग्रहण करावें।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर दिनांक 31.01.2022 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। संबंधित संस्था प्रधान इन्हें ऑफ लाईन कार्यग्रहण करवा प्रति उसी दिन कार्यालय की ई-मेल deosecedu@yahoo.in पर भिजवावें, तत्पश्चात शाला दर्पण पर प्रविष्टी हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर शाला दर्पण की कार्यग्रहण रिपोर्ट भी पृथक से ई-मेल deosecedu@yahoo.in पर उपलब्ध करवावें।

(अमृतलाल)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर
दिनांक :- 10.01.2022

क्रमांक :- जिशिअ/मुख्या/माध्य/जोध/संस्था/शा.प्र.अनु.-2011/2022/6437
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-
1. विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक (स्कूल-शिक्षा) जोधपुर संभाग, जोधपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जोधपुर।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ जोधपुर।
7. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, स्थानीय कार्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि/राबाउमावि/रामावि/राबामावि जिला जोधपुर।
9. संबंधित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री...
10. निजी/रक्षक पंजिका

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर

क्रमांक :– जिशिअ/मुख्या/माध्य/जोध/शारीरिक प्रशिक्षकण अनुदेशक ग्रेड–III(2011)/2022/6437 दिनांक :– 10.01.2022

S. No.	MERIT_NO	ROLL NO.	NAME	FNAME	DOB	SELE. CAT.	Posting Place	Block	Photo	Remark
1	780-A	401799	GAJRAJ SINGH SHEKHAWAT	DEVANDER SINGH SHEKHAWAT	16-Aug-82	GENM	SHAHEED CHHOTURAM MEGHWAL GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHOPASNI CHARNAN (219031), TINWARI (08151702001)(OSIAN)	TINWARI		-
2	807-A	402243	VIVEK DADHICH	CHAMPA LAL	19-May-84	GENM	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JATI BHANDU JODHPUR (220244), SHERGARH (08150308601)(SHERGARH)	SHERGARH		-
3	842-A	400994	DEVENDRA SINGH	GOPAL SINGH	02-Jan-87	GENM	GOVT. SECONDARY SCHOOL HINDAL GOAL (477812), BAP (08150106601)(PHALODI)	BAP		ABSENT
4	867-A	401279	JITENDAR SINGH	BADRI SINGH	01-Feb-78	GENM	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ANWANA (219740), BAORI (08151000101)(OSIAN)	BAORI		-
5	900-A	400838	LAKHAN SINGH KHICHI	BHANWAR SINGH KHICHI	01-Jul-79	GENM	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JATO KI DHANI NARAYANPURA BAP JODHPUR (220152), BAP (08150113401)(PHALODI)	BAP		ABSENT
6	911-A	401370	KARMVEER SINGH BHATI	BHANWAR SINGH BHATI	10-Jul-81	GENM	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RANERI (220137), BAP (08150107001)(PHALODI)	BAP		-
7	956-A	402066	VIKRAM SINGH	MADAN SINGH	04-Jun-83	GENM	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NURE KI BHURJ (220151), BAP (08150112201)(PHALODI)	BAP		ABSENT
8	1036-B	400036	SWAROOP SINGH	MOOL SINGH	12-Jan-85	GENM	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HIMMATPURA SHERGARH JODHPUR (220232), SHERGARH (08150306001)(SHERGARH)	SHERGARH		-
9	1075-A	401237	ANIL KUMAR	HARI PRASAD PUROHIT	06-Jul-82	GENM	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BITHADI (220179), PHALODI (08150207201)(PHALODI)	PHALODI		-
10	1088-A	401520	VIRENDRA SINGH BHATI	BHANWAR SINGH	20-Jul-78	GENM	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SADARI (220208), LOHAWAT (08151307401)(LOHAWAT)	LOHAWAT		-
11	1089-A	401770	RAGHUVEER SINGH	PHOOL SINGH	15-Jun-85	GENM	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHANDSAMA (220222), DECHU (08151203501)(LOHAWAT)	DECHU		-
12	1093-D	400524	SHYAM SINGH	HARI SINGH	15-Jul-78	OBCM	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BURKIYA (220239), DECHU (08151209201)(LOHAWAT)	DECHU		ABSENT
13	1093-E	400953	NAV RATAN SINGH	SHIV SINGH GEHLOT	23-Jul-83	OBCM	GOVT. SECONDARY SCHOOL MAYLO KI DHANI (466032), BAPINI (08151101301)(LOHAWAT)	BAPINI		-
14	1515-A	401153	SATYA NARAYAN	RATAN LAL	20-Sep-78	SCM	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BEDU (220330), BAPINI (08151104601)(LOHAWAT)	BAPINI		-

(अमृतलाल)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर